वेबसाईट शाखा

झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
चतुर्थ सत्र
वर्ग–04

(निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, सोमवार, दिनांकः- 30 अग्रहायण, 1937(श0) / 21 दिसम्बर, 2015(ई0) को झारखण्ड विधान सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
	'क'(62)-अ0सू0-06	श्री शिवशंकर उरांव	सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना	महिला बाल विकास एवं समाजिक सुरक्षा	09.12.15

नोट :- 'क'अल्पसूचित प्रश्न आदेश पत्र संख्या-62,अ0सू0-06,दिनांक-17.12.15 को सदन से गृह विभाग में दिनांक-21.12.2015 के लिए स्थानांतरित।

रॉंची,
दिनांकः-21 दिसम्बर, 2015ई0।

विनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रॉंची।

ज्ञाप संख्या प्रश्न-06/2015-3070/वि0स0, रॉंची, दिनांक- 17 दिसम्बर, 2015ई0।

प्रतिलिपि :-झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/मुख्यमंत्री/मंत्रिगण/संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गुरुचरण सिंह) 17/12/15
उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रॉंची।

ज्ञाप संख्या प्रश्न-06/2015-3070/वि0स0, रॉंची, दिनांक-17 दिसम्बर, 2015ई0।

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ सचिवीय कार्यालय झारखण्ड विधान सभा, रॉंची को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय, अपर सचिव(प्रश्न) के सूचनार्थ प्रेषित।

17/12/15
उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रॉंची।

सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

*"क" 62. श्री शिव शंकर उराँव- क्या,मंत्री,समाज कल्याण,महिला एवं बाल विकास विभाग,यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(1) क्या यह बात सही है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में गाँव के विद्यालयों में पढ़ने वाले छोटे-छोटे बच्चे को नक्सलियों द्वारा अभिभावकों को जान से मारने की धमकी देकर जोर-जबरदस्ती अगवा कर अपने साथ ले जाने की घटना हो रही है। जिसके कारण ऐसे इलाकों के अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों को बचाने के लिए विभिन्न शहरों में रखा जा रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि ऐसे बच्चों की सुरक्षा और देखभाल करना कल्याणकारी राज्य का परम दायित्व है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है,तो क्या सरकार गाँव के ऐसे पलायित बच्चों को चिन्हित् व आंकड़ा इकट्ठा कर सामाजिक सुरक्षा और देखभाल करना चाहती है,हाँ,तो कबतक, नहीं तो क्यों?

नोटः-"क"-62 दिनांकः-17.12.2015 ई0 को सदन से दिनांक-21.12.2015 ई0 के लिए गृह विभाग में स्थानान्तरित।

राँची,
दिनांकः-21 दिसम्बर,2015ई0।

विनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

श्री शिवशंकर उराँव, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक 17.12.2015 को पूछे जाने वाले अ०सू० प्रश्न–06 की उत्तर सामग्री।

प्रश्न		उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में गाँव के विद्यालयों में पढ़ने वाले छोटे–छोटे बच्चे को नक्सलियों द्वारा अभिभावकों को जान से मारने की धमकी देकर जोर–जबरदस्ती अगवा कर अपने साथ ले जाने की घटना हो रही है, जिसके कारण ऐसे इलाकों के अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों को बचाने के लिए विभिन्न शहरों में रखा जा रहा है।	–	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि ऐसे बच्चों की सुरक्षा और देखभाल करना कल्याणकारी राज्य का परम दायित्व है।	–	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपरोक्त दोनों खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गाँव से ऐसे पलायित बच्चों को चिन्हित व आँकड़ा इकट्ठा कर सामाजिक सुरक्षा और देखभाल करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	–	अगवा किए गए बच्चों के सकुशल वापसी हेतु सतत् अभियान चलाये जा रहे हैं। ऐसे क्षेत्रों से उग्रवादियों के प्रभाव को समाप्त करने हेतु अर्द्ध सैनिक बलों के सहयोग से अन्तरजिला अभियान चलाए जा रहे हैं। साथ ही ऐसी घटना की पुनावृत्ति को रोकने हेतु नक्सलियों की गतिविधि पर नजर रखी जा रही है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक–08/वि०स० (04)–53/2015–6759/ राँची, दिनांक 19 / 12 /2015 ई०।

प्रतिलिपि – 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–2749, दिनांक 09.12.2015 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान- सभा

चतुर्थ- सत्र

वर्ग- 01

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, सोमवार, दिनांक- 20 अग्रहायण, 2037 [श0] / 21 दिसम्बर, 2015 [ई0] को

झारखण्ड विधान- सभा के आदेश- पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्रमांक-	विभागों को भेजी गयी सा0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06
उत्तर संलग्न 163-	अ0सू0- 07	श्री चम्पाई सोरेन	उच्चस्तरीय जाँच कराना।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	14.12.2015
उत्तर संलग्न 164-	अ0सू0- 05	श्री प्रदीप यादव	पदाधिकारी पर कार्रवाई।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	13.12.2015
उत्तर संलग्न 165-	अ0सू0- 04	श्री विकास कु0 मुण्डा	हत्याओं का उच्चस्तरीय जाँच।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	12.12.2015
उत्तर संलग्न 166-	अ0सू0- 01	श्री राधाकृष्ण किशोर	मानव तस्करी पर रोक लगाना।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	10.12.2015
उत्तर संलग्न 167-	अ0सू0- 14	श्री दीपक बिरूआ	मुआवजा देना।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	16.12.2015
अर्द्ध संलग्न उत्तर संलग्न 168-	अ0सू0- 09	प्रो0 जयप्रकाश वर्मा	जनप्रतिनिधियों की भूमिका तय करना।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	16.12.2015
169-	अ0सू0- 08	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी	प्रभावित लोगों को मुआवजा देना।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	15.12.2015
उत्तर संलग्न 170-	अ0सू0- 03	श्री बिरंची नारायण	खतियान की बाध्यता समाप्त करना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा।	12.12.2015

(कृ0 पृ0 उ0)

01.	02.	03.	04.	05.	06
171–	अ0सू0– 10	श्री प्रकाश राम	आश्रितों को नौकरी एवं मुआवजा देना।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	16.12.2015
172–	अ0सू0– 15	श्रीमती बिमला प्रधान	पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई।	वाणिज्यकर	16.12.2015
173–	अ0सू0– 06	श्री प्रदीप यादव	योजनाओं को क्रियान्वित करना।	योजना सह– वित्त	13.12.2015
174–	अ0सू0– 12	श्री नवीन जयसवाल	उम्र सीमा में छुट देना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	16.12.2015
175–	अ0सू0– 13	श्री दीपक बिरूवा	विधि सम्मत कार्रवाई करना।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन।	16.12.2015
176–	अ0सू0– 11	श्री लक्ष्मण टुडू	पीड़ितो को मुआवजा देना।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	16.12.2015
177–	अ0सू0– 16	श्री दशरथ गागराई	शहीदों के आश्रितों को मुआवजा देना।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	16.12.2015
178–	अ0सू0– 02	श्री राधाकृष्ण किशोर	जिलों में महिला बैंक स्थापित करना।	योजना सह–वित्त	10.12.2015

रॉंची,
दिनांक– 21 दिसम्बर, 2015 ई0।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रॉंची।

ज्ञापांक– झा0वि0स0(प्रश्न)–03/15 3058 /वि0स0, रांची, दिनांक– 17/12/15

प्रतिः– झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/ अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव तथा मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कमलेश कुमार दीक्षित)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, रॉंची।

ज्ञापांक– झा0वि0स0(प्रश्न)–03/15 3058 /वि0स0, रांची, दिनांक– 17/12/15

प्रतिः– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/प्रभारी सचिव महोदय एवं उप सचिव (प्रश्न) के संयुक्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, रॉंची।

सुभाष

श्री चम्पई सोरेन, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.12.2015 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न–07 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावां जिलान्तर्गत काण्ड्रा थाना कांड संख्या–45/15, दिनांक–08.11.2015 में वर्णित श्रवण मण्डल की हत्या की गई है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित मामले में पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कई निर्दोष व्यक्तियों को फंसा दिया गया है यथा, कृष्णा वास्के, राम हँसदा ;	अस्वीकारात्मक। श्रवण मंडल की हत्या करने के लिए सुकु हाँसदा एवं सतोष मंडल उर्फ मुचिराम मंडल को पैसा राम हाँसदा एवं कृष्णा बास्के के कहने पर पहुँचाया गया था। काण्ड्रा थाना कांड सं०–45/15, दिनांक–08.11.2015, धारा–302/120 बी०/34 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट के अप्राथमिकी अभियुक्त राम हाँसदा एवं कृष्णा बास्के के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य है। जिनकी गिरफ्तारी हेतु सतत् प्रयास जारी है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित काण्ड्रा थाना संख्या–45/15, दिनांक–08.11.2015 जिसका जी०आर० केस नं०–1187/15 की सत्यता की उच्च स्तरीय जांच कराने की अनुशंसा करने का विचार रखती है हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	काण्ड में प्राथमिकी अभियुक्तों संतोष मंडल उर्फ मुचिराम मंडल, अप्राथमिकी अभियुक्त सुकू हँसदा, रतिलाल मण्डल एवं शंकर प्रधान (शूटर) के स्वीकारोक्ति बयान में स्वयं को दोषी स्वीकार किये तथा अप्राथमिकी अभियुक्तों राम हँसदा, कृष्णा बास्के एवं अन्तेश सिंह का घटना में संलिप्तता का पर्याप्त साक्ष्य भी उपलब्ध है। अतः इस कांड में उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–8/वि०स०(04)–51/2015 6767 राँची, दिनांक– 20/12/2015 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2983, दिनांक–14.12.2015 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(164)

माननीय स०वि०स० श्री प्रदीप यादव द्वारा दिनांक 21.12.2015 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–05 का उत्तर।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वित्त विभाग के प्रधान सचिव श्री अमित खरे के रिपोर्ट के आधार पर मनोज कुमार, आई०ए०एस० पर सरकार ने विधि विभाग से राय मांगी है,	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि श्री मनोज कुमार के सम्बन्ध में उनके प्रशासी विभाग द्वारा अभिलिखित विशेष चारित्री के मामले पर श्री अमित खरे, भा.प्र.से., प्रधान सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन पर विधि विभाग से परामर्श मांगा गया है।
2	क्या यह बात सही है कि विधि विभाग 3 (तीन) महिनों में जानबूझकर अपनी राय देने में विलम्ब कर रहा है, ताकि इस विलम्ब का लाभ मनोज कुमार, आई०ए०एस० को सेवा सम्पुष्टि में मिल सके ?	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। विधि विभाग को संचिका परामर्श के साथ वापस करने हेतु स्मारित किया गया है। भा.प्र.से. के पदाधिकारियों की सेवा सम्पुष्टि भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है।
3	यदि उपरोक्त खंडो का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार प्रधान सचिव, वित्त विभाग के रिपोर्ट के आधार पर मनोज कुमार, आई०ए०एस० पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	विधि विभाग से परामर्श प्राप्त होने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा यथोचित निर्णय लिया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–1/न्या०वि०स०–1108/2015 का.– 10688/राँची, दिनांक 17/12/15

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–2915, दिनांक 13.12.2015 के आलोक में 250 (दो सौ पचास) प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.12.15

(सुमन कुमार)
सरकार के विशेष सचिव।

Letter

श्री विकास कुमार मुण्डा, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.12.2015 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न–04 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के पूर्व माननीय सदस्य एवं सांसद श्री रमेश सिंह मुण्डा एवं सुनील महतो जी की निर्मम हत्या नक्सलियों के द्वारा की गई थी ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि इन दोनों की निर्मम हत्या के इतने दिनों के बीतने के पश्चात भी हत्या में संलिप्त नक्सलियों को अब तक नहीं पकड़ा गया है ;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार स्व० रमेश सिंह मुण्डा एवं स्व० सुनील महतो की निर्मम हत्या की उच्च स्तरीय जांच कराकर हत्या में संलिप्त नक्सलियों को सजा दिलवाने का विचार रखती है हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	स्व० सुनील महतो के हत्या की अनुसंधान सी०बी०आई० को सौंपी गई है। सी०बी०आई० द्वारा गिरफ्तार 09 अभियुक्तो के विरूद्ध अनुसंधानोपरांत तथा साक्ष्य संकलनोपरांत आरोप पत्र सं०–14/09, दिनांक–04.12.2009 धारा–302/395/353/427/435 /34 भा०द० वि० 27 आर्म्स एक्ट एवं 16 यू०ए०पी० एक्ट सी०बी० आई० द्वारा समर्पित किया गया। सी०बी०आई० द्वारा अनुसंधान के दौरान रंजीत पाल उर्फ राहूल, पे०– सत्या पाल, साकिन–खेजुर खेना, थाना–रानीबांध, वर्त्तमान–बारीपुर, जिला–बांकुडा (पं० बंगाल) एवं विवेक दास की संलिप्तता भी पायी गयी जो फिरार है। इसी तरह स्व० रमेश सिंह मुण्डा की हत्या की अनुसंधान अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी गई। अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा अनुसंधान एवं साक्ष्य संकलनोपरांत अप्राथमिकी अभियुक्त घासी राम मुण्डा को मृत दिखाते हुए एवं अप्राथमिकी अभियुक्त बलराम साहु उर्फ बोलो उर्फ डेविड के विरूद्ध पूरक आरोप पत्र सं०–141/09, दिनांक–30.11.2009 धारा–302/379/120 बी०/34 भा०द०वि०, 27 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट के अंतर्गत समर्पित किया गया है। पूरक अनुसंधान जारी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–08/वि०स०(04)–49/2015 6766 राँची, दिनांक–20/12/2015 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2903, दिनांक–12.12.2015 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 20.12.15
सरकार के उप सचिव।

166

श्री राधाकृष्ण किशोर, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.12.2015 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न–01 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि भारतवर्ष में हो रहे अवैध मानव तस्करी का वृहद स्रोत झारखण्ड राज्य है, जिसके अंतर्गत झारखण्ड प्रदेश के अधिकांशतः महिलाएँ और कम उम्र के बच्चे प्रभावित है ;	स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य में अवैध मानव तस्करी के वर्ष–2013 में 96, वर्ष–2014 में 147 तथा वर्ष 2015 के माह सितम्बर तक 127 कांड प्रतिवेदित है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड प्रदेश से देश के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले अवैध मानव तस्करी को रोक–थाम के लिए कौन सी कार्रवाई करना चाहती है, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड राज्य अंतर्गत अवैध मानव व्यापार की रोकथाम हेतु निम्नलिखित कार्रवाई की जा रही है :– 1. झारखण्ड राज्य में 1. गुमला 2. सिमडेगा 3. खूँटी 4. दुमका 5. राँची 6. प० सिंहभूम,-चाईबासा 7. लोहरदगा एवं 8. पलामू जिला में **Anti Human Trafficking Unit (AHTU)** गठन किया गया है, जिसके द्वारा अवैध मानव व्यापार से संबंधित काण्डों का प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। 2. झारखण्ड राज्य के प्रत्येक जिला के नगर अंचल के पुलिस निरीक्षक को किशोर/बाल कल्याण पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है एवं पुलिस अधीक्षकों को विशेष किशोर पुलिस ईकाई के प्रमुख के रूप में अधिसूचित किया गया है। 3. राज्य के सभी जिलों में एक पुलिस निरीक्षक को अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 के अंतर्गत कार्रवाई हेतु विशेष पुलिस पदाधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। 4. राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों को **Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act 2000 and rules 2007** के प्रावधानों का अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया है। 5. झारखण्ड सरकार द्वारा अवैध मानव व्यापार की रोक–थाम हेतु एक संकल्प निर्गत किया गया है, जिसके द्वारा सभी संबंधित विभागों के बीच उत्तरदायित्व का निर्धारण किया गया है। 6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय,नई दिल्ली द्वारा **W.P.(C) No-75/2012** बचपन बचाव आंदोलन बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिये गये न्यायादेश के आलोक में लापता बच्चों के संबंध में अविलम्ब प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है। 7. पुलिस पदाधिकारियों को संवेदनशील बनाने हेतु राज्य स्तर पर एवं जिला स्तर पर कार्यशाला का आयोजन कर **J.J Act. POCSO, Criminal Law Amendment Act 2013** आदि में महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित अपराधों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई गई है तथा इस संबंध में गैरसरकारी संगठनों का भी सहयोग लिया जा रहा है। 8. राज्य के सभी थानों में बालकों के विरूद्ध होने वाली अपराध को देखने हेतु बाल कल्याण पदाधिकारी (C.W.O) को अधिसूचित किया गया है, जिन्हें संबंधित विषयों पर प्रशिक्षित भी किया गया है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०–19/2015 7598 राँची, दिनांक–20/12/2015 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2757, दिनांक–10.12.2015 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

श्री दीपक बिरूवा, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.12.2015 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–14 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री दीपक बिरूवा, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, माननीय प्रभारी मंत्री, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, (आपदा प्रबंधन प्रभाग)
1. क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला में दिनांक–01.11.2015 को हुई आंधी व ओले गिरने के कारण सदर प्रखण्ड एवं खूंटपानी प्रखण्ड के क्रमशः लुपूगुंटू, सिंबिया एवं बड़दोर पंचायत तथा करकट्टा पंचायत में कई मकान क्षतिग्रस्त एवं फसलों को भारी नुकसान हुआ है ;	1. आंशिक स्वीकारात्मक । उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा का पत्रांक–134(A), दिनांक–18.12.2015 से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार खूंटपानी अंचल के करकट्टा पंचायत में इस प्रकार का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है, जबकि सदर प्रखण्ड चाईबासा के पंचायतों यथा–लुपूगुंटू में 146, सिंबिया में 18, बड़दोर में 45 परिवार प्रभावित हुए हैं।
2. क्या यह बात सही है कि स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा अब तक उक्त प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुँचाने का कार्य नहीं किया गया है ;	2. वस्तुस्थिति यह है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सदर चाईबासा द्वारा तत्काल आपदा राहत हेतु ग्राम–लुपूगुंटू में चावल वितरण कराया गया है ।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रभावित ग्रामों/पंचायतों में जाँच कर हुई क्षतिपूर्ति का मुआवजा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3. आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए क्षतिपूर्ति का मुआवजा भुगतान हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, सदर चाईबासा, को अभिलेख भेजा गया है, जिसका भुगतान नियमानुसार अविलम्ब कर दिया जायेगा।

झारखंड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांकः–07/गृ०का०आ०(विधायी)–28/2015–1744/आ०प्र०, राँची, दिनांक–20/12/2015

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, झारखण्ड, राँची के ज्ञाप संख्या–3030, दिनांक–16.12.2015 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में/मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/अपर मुख्य सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

गोपाल सिंह
20/12/15
(गोपाल सिंह)
सरकार के अवर सचिव

प्रो० जयप्रकाश वर्मा, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.12.2015
को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–09 की उत्तर सामग्री

<table>
<tr><th>प्रश्नकर्त्ता</th><th>उत्तरदाता</th></tr>
<tr><td>प्रो० जयप्रकाश वर्मा, माननीय स०वि०स०</td><td>श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, माननीय प्रभारी मंत्री, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, (आपदा प्रबंधन प्रभाग)</td></tr>
<tr><td>1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के लिए आपदा प्रबंधन हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है ,</td><td>1. वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में निम्नवत् राशि आवंटित की गई –
<table>
<tr><th>वित्तीय वर्ष</th><th>आवंटित राशि</th></tr>
<tr><td>2014–15</td><td>27,50,000/–
(सताईस लाख पचास हजार) रूपये मात्र।</td></tr>
<tr><td>2015–16
(दिनांक–17.12.2015 तक)</td><td>1,50,41,000/–
(एक करोड़ पचास लाख इक्तालीस हजार) रूपये मात्र ।</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2. क्या यह बात सही है कि आपदा प्रबंधन हेतु आवंटित राशि को किन–किन आपदाओं के लिए खर्च किया गया,</td><td>2. विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में निम्नांकित आपदाओं में राशि की आवंटन की गई है –
<table>
<tr><th>वित्तीय वर्ष</th><th>आपदा का प्रकार</th><th>आवंटित राशि</th></tr>
<tr><td rowspan="3">2014–15</td><td>बाढ़, चक्रवात इत्यादि</td><td>50,000/–
(पचास हजार) रूपये मात्र।</td></tr>
<tr><td>वज्रपात</td><td>25,00,000/–
(पच्चीस लाख) रूपये मात्र</td></tr>
<tr><td>शीतलहर
(अलाव जलाने हेतु)</td><td>2,00,000/–
(दो लाख) रूपये मात्र ।</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2015–16</td><td>बाढ़, चक्रवात इत्यादि</td><td>25,00,000/–
(पच्चीस लाख) रूपये मात्र</td></tr>
<tr><td>वज्रपात</td><td>27,00,000/–
(सताईस लाख) रूपये मात्र</td></tr>
<tr><td>अल्पवृष्टि के कारण पेयजल समस्या</td><td>98,41,000/–
(अंठानबे लाख इक्तालीस हजार) रूपये मात्र</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3. क्या यह बात सही है कि आपदा प्रबंधन की राशि खर्च करने में जनप्रतिनिधियों की कोई भूमिका होती है,</td><td>3. वस्तुस्थिति यह है कि आपदा प्रबंधन की राशि का व्यय गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश में प्रावधानित मद एवं मानदण्ड के अनुरूप किया जाता है ।</td></tr>
<tr><td>4. क्या उपर्युक्त खण्डों के उत्तर सही है, तो क्या राज्य सरकार उक्त योजना की राशि खर्च करने में जनप्रतिनिधि की भूमिका तय करने का विचार रखती है ?</td><td>4. उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।</td></tr>
</table>

झारखंड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांक–07/गृ०का०आ०(विधायी)–29/2015–1746/आ०प्र०, राँची, दिनांक–20/12/2015

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, झारखण्ड, राँची के ज्ञाप संख्या–3031, दिनांक–16.12.2015 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में/मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/अपर मुख्य सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

गोपाल सिंह
20/12/2015
(गोपाल सिंह)
सरकार के अवर सचिव

(169)

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.12.2015 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–08 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, माननीय प्रभारी मंत्री, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, (आपदा प्रबंधन प्रभाग)
1. क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला विगत कई वर्षों से भिन्न–भिन्न तरह के आपदाओं से ग्रसित है, मुख्यतः हाथियों द्वारा फसल की बर्बादी, वज्रपात, अनावृष्टि की वजह से फसल की बर्बादी, सड़क दुर्घटना में मौत, आग की वजह से घर का जलना, निलगाय, हाथी एवं बन्दर (हनुमान) के झुण्डों द्वारा फसल की बर्बादी एवं कच्चे मकानों को क्षति पहुँचाना इत्यादि तरह की घटना प्रायः घटते रहते हैं ;	1. आंशिक स्वीकारात्मक ।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रभावित लोगों को तत्काल मुआवजा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	2. वस्तुस्थिति यह है कि वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों, घायलों एवं मृत पशु के replacement हेतु अनुग्रह राशि, संबंधित जिला उपायुक्त से प्राप्त अधियाचना प्रस्ताव के आलोक में प्रदान की जाती है । वित्तीय वर्ष 2013–14 में गढ़वा जिला को कुल 30,18,700/– (तीस लाख अठारह हजार सात सौ) रूपये की राशि उपलब्ध करायी गई थी। वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में जिले से समुचित अधियाचना प्राप्त नहीं है । अनावृष्टि के कारण वित्तीय वर्ष 2014–15 में गढ़वा जिले को राज्य सरकार द्वारा विशेष पैकेज की घोषणा के तहत कुल 1,21,50,000/– (एक करोड़ ईक्कीस लाख पचास हजार) रूपये की राशि आवंटित की गई थी । वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य को सूखा घोषित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में आगजनी से क्षतिग्रस्त मकान हेतु उपायुक्त, गढ़वा को आवंटन संख्या–32(आ०), दिनांक–19.06.2015 द्वारा 1,50,000/– (एक लाख पचास हजार) रूपये आवंटित की गई है जिसके तहत् उपायुक्त से प्राप्त अधियाचना प्रस्ताव का निष्पादन अपने स्तर से करने में स्वयं सक्षम हैं। आग से फसल क्षति का भी मुआवजा संबंधित उपायुक्त से प्राप्त अधियाचना के आधार पर विभाग द्वारा दिया जाता है । वित्तीय वर्ष 2015–16 में गढ़वा जिला से तत्संबंधी अधियाचना प्राप्त नहीं है । सड़क दुर्घटना से मौत में मुआवजा देने संबंधी प्रावधान गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) में नहीं है। हाथी, नीलगाय एवं बन्दर (हनुमान) के झुण्डों द्वारा फसल की बर्बादी का मामला वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से संबंधित होने के कारण हस्तानान्तरित कर दी गई है ।

झारखंड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांक–07/गृ०का०आ०(विधायी)–27/2015–1330/आ०प्र०, राँची, दिनांक–18/12/2015

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, झारखण्ड, राँची के ज्ञाप संख्या–3007, दिनांक–15.12.2015 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में/मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/अपर मुख्य सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

गोपाल सिंह
18/12/15
(गोपाल सिंह)
सरकार के अवर सचिव

(179)

श्री बिरंची नारायण, माननीय स०वि०स० द्वारा चलते विधानसभा सत्र में दिनांक 21.12.2015 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं०–03 का उत्तर प्रतिवेदन।

श्री बिरंची नारायण, माननीय स०वि०स० द्वारा चलते विधानसभा सत्र में दिनांक 21.12.2015 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं०–03 का उत्तर निम्नवत अंकित है :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के नागरिकों को नियोजन हेतु स्थानीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आदि बनवाने के लिए खतियान का होना अनिवार्य किया गया है;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि बगैर खतियान के अंचल कार्यालय नागरिकों को नियोजन हेतु उक्त प्रमाण पत्र जारी नहीं करता है, केवल शैक्षणिक कार्य हेतु ही उक्त प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे है ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि वैसे नागरिक भी नियोजन हेतु उक्त प्रमाण पत्र पाने से वंचित किये जा रहे हैं, जो रिविजनल सर्वे से पूर्व से ही झारखण्ड में रह रहे है, और भूमिहीन है;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार शैक्षिक कार्य हेतु निर्गत हो रहे प्रमाण पत्रों की तर्ज पर नियोजन कार्य हेतु प्रमाण पत्र निर्गत करने में खतियान की बाध्यता समाप्त करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	नियोजन हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए प्रमाण पत्र के प्रयोजन एवं आवेदक के सम्बद्ध जिले का निवासी होना सुनिश्चित किया जाता है और पिछले सर्वे रिकार्ड ऑफ राइट्स इत्यादि में आवेदक या उसके पूर्वजों के नाम से जमीन, वासगीत आदि के उल्लेख के जांचोपरान्त स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की व्यवस्था है। स्थानीय व्यक्ति को परिभाषित करने तथा उसके पहचान की क्राइटेरिया निर्धारण का एक मामला सम्प्रति सरकार के विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा०वि०स०–07–36/2015 का०– 10689 /रांची, दिनांक 17 /12/2015

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रांची को उनके पत्र ज्ञाप सं०–प्र०–2898 वि०स० दिनांक–12.12.2015 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/2015

(दिवाकर प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–14/झा०वि०स०–07–36/2015 का०– 10689 /रांची, दिनांक 17 /12/2015

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–11, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.12.2015

सरकार के उप सचिव।

(171)

श्री प्रकाश राम, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.12.2015 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न–10 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला अंतर्गत ग्राम–लुटगुभी कला, थाना–लातेहार निवासी अकबर मियां की हत्या पिपुल्स वार (PWG) के उग्रवादी संगठन द्वारा दिनांक–29.01.2002 को ग्राम बसकरचा थाना, महुआडांड़, लातेहार में कर दी गई थी ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त घटना की प्राथमिकी महुआडांड़ थाना 03/2002 तथा GR/38/2002 द्वारा की गई थी ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि आज तक मृतक के पुत्र अतहर अंसारी को न तो मुआवजा की राशि न ही नौकरी प्रदान की गयी ;	स्वीकारात्मक।
4	क्या उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो राज्य सरकार मृतक के आश्रितों को नौकरी एवं मुआवजा देने का विचार रखती है यदि हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	पिपुल्स वार ग्रुप को झारखण्ड सरकार द्वारा प्रतिबंधित नही किया गया है। अतः सरकारी प्रावधानों के आलोक में मृतक के आश्रित को नौकरी एवं मुआवजा अनुमान्य नही है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–18/वि०स०(02)–11/2015 7609 राँची, दिनांक–20/12/2015 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3028, दिनांक–18.12.2015 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.12.15
सरकार के उप सचिव।

(172)

श्रीमती बिमला प्रधान, स०वि०स० से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–15 का उत्तर,

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि वाणिज्य–कर विभाग अपने निर्धारित लक्ष्य से राजस्व संग्रहण कार्य में काफी पीछे है और वित्तीय वर्ष समाप्ति पर है?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि वाणिज्य–कर विभाग के पदाधिकारी राजस्व संग्रह के बदले सिर्फ अपनी ही कोष वृद्धि में लगे हैं और राजकीय कोष को काफी नुकसान हो रहा है?	उत्तर अस्वीकारात्मक है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राजस्व संग्रह में लापरवाही करने वाले पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए राजस्व संग्रहण का 11500 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है इसमें से दिसम्बर 2015 तक का लक्ष्य 6790.78 करोड़ निर्धारित है जिसके विरूद्ध दिनांक 16.12.2015 तक 5175.32 करोड़ का राजस्व संग्रहण किया गया है। राजस्व संग्रहण किसी भी वित्तीय वर्ष के आखिरी त्रैमासिक में सर्वाधिक होते हैं। राजस्व संग्रहण में लापरवाही बरतनेवाले पदाधिकारी के विरूद्ध समय–समय पर कारण पृच्छा कर कर संग्रहण करने में सतत् सचेत किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार

वाणिज्य–कर विभाग।

ज्ञापांक:– 4868 दिनांक:– 18/12/15

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके पत्रांक 3034 दिनांक 16.12.2015 के प्रसंग में उत्तर की 200 प्रतियाँ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/15

वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त,

झारखण्ड, राँची।

श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 21.12.2015 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–06 की उत्तर सामग्री

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए शेयरिंग फार्मूला तय न होने के कारण झारखण्ड के 55 केन्द्र संचालित योजनाएँ बुरी तरह प्रभावित है,	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा उनके अर्द्धसरकारी पत्रांक–32/ESO/FS/2015 दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 के द्वारा केन्द्र संचालित योजनाओं में राज्य एवं केन्द्र के बीच Sharing Pattern का निर्धारण किया जा चुका है, जिसकी प्रति संलग्न है।
2.	क्या यह बात सही है, कि इसमें से 24 योजनाएँ बंद होनेवाली है,	अस्वीकारात्मक। 24 योजनाओं के Sharing Pattern में बदलाव किया गया है। 31 योजनाओं को केन्द्र द्वारा पूर्णतः शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से कार्यान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है। मात्र 08 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को Delinked किया गया है। भारत सरकार द्वारा जो 08 केन्द्र प्रायोजित योजना Delinked किये गये हैं, वे हैं– NeGP, BRGF, Modernization of Police Force, RGPSA, ASIDE, 6000 Model Schools schemes, National Mission on Food Processing (NMFP) and Tourist Infrastructure। नीति आयोग द्वारा केन्द्र संचालित योजनाओं के पुनर्गठन के उद्देश्य से गठित उप समिति में झारखण्ड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री भी सदस्य थे। राज्य की ओर से किए गए अनुरोध एवं प्रयास के कारण उक्त Delinked 08 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में से Modernization of Police Force के साथ–साथ Infrastructure Facility for Judiciary को भी Core Sector Schemes में शामिल किया गया तथा 60:40 के Sharing Pattern के आधार पर केन्द्रीय सहायता दिए जाने पर केन्द्र सरकार ने सहमति व्यक्त कर दी है।
3.	अगर उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या केन्द्र संचालित योजनाओं को राज्य सरकार तेजी से क्रियान्वित एवं पूरा कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	केन्द्रीय सहायता से Delinked किये गये 07 कार्यक्रमों के संदर्भ में भी नीति आयोग की उप समिति ने अपने प्रतिवेदन के कंडिका–4.40 में यह अनुशंसा की है कि 31 मार्च, 2015 के पूर्व स्वीकृत किये गये योजनाओं को पूर्ण करने हेतु आवश्यक राशि केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व के स्थापित Sharing Pattern के आधार पर ही चालू वित्तीय वर्ष तक दिया जा सकेगा।

		इस आलोक में राज्य सरकार ने अधूरी योजनाओं को पूर्ण करने हेतु पुराने Sharing Pattern के आधार पर इस वित्तीय वर्ष में राशि विमुक्त करने का अनुरोध पत्र केन्द्र सरकार को प्रेषित किया है। इस बीच BRGF के तहत ली गई अपूर्ण योजनाओं को पूरा करने हेतु तत्काल राज्य सरकार के द्वारा द्वितीय अनुपूरक के माध्यम से 85.00 करोड़ रू० राज्य योजना निधि से वहन करने हेतु आवश्यक बजटीय उपबंध कर लिया गया है।

झारखण्ड सरकार
योजना–सह–वित्त विभाग

ज्ञापांक–यो०वि०–5/अ०सू०–9/15 233/वि०, रॉंची, दिनांक 18.12.2015

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रॉंची को 200 (फोटो प्रति) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18.12.15

(अविनाश कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF EXPENDITURE

रतन पी. वातल
वित्त सचिव
Ratan P. Watal
Finance Secretary

D.O.No. 32/PSO/FS/2015

28th October, 2015

Sub: Funding Pattern of Centrally Sponsored Schemes.

Dear Secretary,

The Report of the Sub-Group of Chief Ministers on Rationalization of Centrally Sponsored Schemes constituted by the NITI Aayog has been considered and it has been decided that:

1. The funding pattern of following schemes will remain unchanged:
   i. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme
   ii. National Social Assistance Program
   iii. Umbrella Program for Development of Scheduled Castes
   iv. Umbrella Program for Development of Scheduled Tribes
   v. Umbrella Program for Development of Differently Abled Persons
   vi. Umbrella Program for Development of Minorities
      a. Multi-sectoral Development Program for Minorities
      b. Education Scheme for Madarsas/Minorities
   vii. Umbrella Program for Development of Backward Classes and other vulnerable groups

2. The funding of the following *core schemes*, which form part of the National Development Agenda, will be shared 60:40 between the Centre and the States (90:10 for the 8 North-Eastern and 3 Himalayan States):
   i. Krishi Unnati Yojna
   ii. Rashtriya Krishi Vikas Yojna
   iii. Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna
   iv. Rashtriya Pashudhan Vikas Yojna (Livestock Mission, Veterinary Services and Dairy Development)

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

कमरा नं. 129-ए, नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली-110001
Room No. 129-A, North Block, New Delhi - 110001
Tel: 23092929, 23092663 Fax: 23092545
E-mail: [illegible] Website: [illegible]

v. Swach Bharat Abhiyan (Rural and Urban)
vi. National Rural Drinking Water Program
vii. National Health Mission (including AYUSH, Medical Education and RSBY/RSSY)
viii. National Education Mission (including SSA, RMSA, RUSA, Teachers Training and Adult Education)
ix. Integrated Child Development Services (including nutrition mission, maternity benefits and program for adolescent girls)
x. Integrated Child Protection Scheme
xi. Mid-Day Meal Program
xii. Housing for All (Rural and Urban)
xiii. National Livelihood Mission (Rural and Urban)
xiv. Forestry and Wildlife (including Green India Mission, Project Tiger and Integrated Development of Wildlife Habitats)
xv. Urban Rejuvenation (AMRUT) and Smart Cities Mission
xvi. Modernisation of Police Forces
xvii. Infrastructure Facilities for Judiciary

In case a scheme/sub-scheme in the above mentioned list has a central funding pattern less than the level mentioned at the beginning of para 2, the existing funding pattern will continue.

For Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna instructions will be issued separately. For the ICDS Program, provision of additional funds for the current financial year will also be made at the supplementary stage.

3. All other schemes (not listed in para 1 and 2 above) will be *optional* for the State Governments and their fund sharing pattern will be 50:50 between the Centre and the States (80:20 for the 8 North East and 3 Himalayan States).

4. The following schemes may be run as Central Sector Schemes from the Financial Year 2016-17 onwards (in accordance with the budget provision as far as FY 2015-16 is concerned):
   (i) National AIDS and STD Control Program which is externally aided and implemented through special purpose vehicles and the voluntary sector.
   (ii) National Skill Initiatives/Skill Development Mission under the umbrella of recently launched Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana.
   (iii) Programs with network externalities like National Disease Surveillance Systems and the Crime and Criminal Control Network.

(iv) To ensure economies of scale in the implementation of centrally sponsored schemes small programs like Modernisation of Land Records, National Service Scheme, Yuva Krida and Khel Abhiyan, Social Security Cards, etc. may also be suitably restructured as Central Sector Schemes.

5. For Union Territories, the Centrally Sponsored Schemes will be funded 100 percent by the Central Government. However, schemes that will be implemented in a particular Union Territory will be decided by the Central Government in consultation with the administration of the Union Territory concerned.

6. Expenditure on all schemes in the financial year 2015-16 will be limited to the budgetary resources made available through the Budgetary Estimate and the Supplementary Budgets during the course of the year.

With regards.

Yours sincerely,

Ratan P Watal

Finance Secretary

All Secretaries to the Government of India

(174)

माननीय स०वि०स० श्री नवीन जायसवाल द्वारा दिनांक 21.12.2015 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–12 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखण्ड, केरल एवं बिहार आदि राज्यों में राज्यस्तरीय सेवा आयोग तथा केन्द्र में यू०पी०एस०सी० के द्वारा प्रत्येक वर्ष सिविल परीक्षा का आयोजन किया जाता है परन्तु झारखण्ड में राज्य गठन के बाद मात्र पाँच बार ही राज्यस्तरीय सेवा आयोग की परीक्षा का आयोजन किया गया है;	स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य में अबतक पाँच बार संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा ली गई हैं। छठी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखण्ड, केरल जैसे राज्यों में सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 (चालीस) वर्ष है जबकि झारखण्ड राज्य में सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष है। अन्य राज्यों में पिछड़ा वर्ग के लिए उम्र में 5 (पाँच) वर्ष और यू०पी०एस०सी० परीक्षा एवं बिहार राज्य में 3 (तीन) वर्ष की छूट दी गई है जबकि झारखण्ड राज्य में पिछड़ा वर्ग के लिए उम्र में 2 (दो) वर्ष की छूट दी गई है;	स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य में संकल्प संख्या–2096 दिनांक–25.04.2011 द्वारा सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयुसीमा निम्न प्रकार निर्धारित है– विकलांगों के लिए (i) अनारक्षित — 35 वर्ष — 40 वर्ष (ii) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग — 37 वर्ष — 42 वर्ष (iii) महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग) — 38 वर्ष — 43 वर्ष (iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला) — 40 वर्ष — 45 वर्ष उक्त संकल्प दिनांक–01.01.2011 से 31.12.2015 तक प्रभावी है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आगामी 6th (छठी) सिविल सेवा परीक्षा में उपर्युक्त वर्णित राज्यों के तर्ज पर उम्र सीमा में रियायत देने संबंधी विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो, क्यों ?	इस विषय पर सरकार द्वारा समेकित रूप से विचार करते हुए विभागीय संकल्प संख्या–8315 दिनांक– 16.09.2015 द्वारा उम्र सीमा में रियायत देने हेतु निम्नांकित निर्णय लिये गये है– (क) छठी सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के Upper Age Limit की गणना हेतु 01.08.2010 एवं Lower Age Limit की गणना हेतु 01.08.2015 को कट–ऑफ तिथि निर्धारित की जाती है। (ख) बिहार एवं कई अन्य राज्यों के तर्ज पर सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनुमान्य अवसर की सीमा को समाप्त किया जाता है।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11/लो०से०आ०(प्रश्न)–01–28/2015 का०–10748/राँची, दिनांक–18/12/2015

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3033, दिनांक 16.12.2015 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.12.15

(दिलीप तिर्की)

सरकार के अवर सचिव।

श्री दीपक बिरूवा, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.12.2015 को पुछे जानेवाले, अ०सू० प्रश्न–13 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पी०टी०सी० पदमा में राज्य के 1222 पुलिस से ए०एस०आई० में प्रोन्नति हेतु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि प्रशिक्षण के पश्चात होने वाली परीक्षा में जिन आरक्षियों ने पैसे नहीं दिए उन्हें अनुत्तीर्ण कर दिया गया है ;	मामला जांच अंतर्गत है।
3	क्या यह बात सही है कि इससे संबंधि मामले को लेकर झारखण्ड पुलिस मेंस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों से शिकायत की है ;	झारखण्ड पुलिस मेंस एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा इस संबंध में पुलिस मुख्यालय को अवगत कराया गया है तथा संबंधित मामले में समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के आलोक में मामले की जांच पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण), झारखण्ड, राँची को सौंपा गया है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर अग्रतर कार्रवाई की जायेगी।
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार इस गोरखधंधा में संलिप्त पदा०/कर्म० को चिन्हित कर विधि सम्मत कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	कंडिका–3 के अनुसार।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–15/वि०स०–17/2015.7602/ राँची, दिनांक–20/12/2015 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3029, दिनांक–16.12.2015 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 20.12
सरकार के उप सचिव।

(176)

श्री लक्ष्मण टुडू, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.12.2015
को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–11 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री लक्ष्मण टुडू, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, माननीय प्रभारी मंत्री, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, (आपदा प्रबंधन प्रभाग)
1. क्या यह बात सही है कि ग्रामीण क्षेत्र में अगलगी जैसे घटना एवं वज्रपात से हुए मृत्यु पर मुआवजा सरकार की ओर से देने का प्रावधान है ,	1. स्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही है कि घाटशिला विधान–सभा क्षेत्र के हेंदेलजुड़ी पंचायत के ग्राम–काकड़ीशोल में बज्रपात की घटना में मारे गए मृतक मोनो रजक एवं बड़ाजुड़ी ग्राम के नन्दलाल भगत को अभी तक मुआवजा राशि नहीं दिया गया,	2 विभागीय पत्रांक–1738(अनु०), दिनांक–18.12.2015 द्वारा उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) को प्रश्नगत मामले में नियमानुसार अधियाचना भेजे जाने का निदेश दिया गया है । अधियाचना प्राप्त होते ही मुआवजा आवंटित कर दी जायेगी।
3. क्या यह बात सही है कि घाटशिला विधान–सभा क्षेत्र में हाल ही में आगजनी घटना में कई घर जलकर पूरे राख हो गया, पर पीड़ितों को मुआवजा राशि अभी तक नहीं मिला,	3. दो घर आगजनी की घटना में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं जिनके सहाय्य अनुदान की भुगतान कर दी गई है ।
4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार पीड़ितों को उचित मुआवजा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	4. स्वीकारात्मक । उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखंड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांक:–07 / गृ०का०आ०(विधायी)–30 / 2015–1743 / आ०प्र०, राँची, दिनांक– 20/12/2015

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, झारखण्ड, राँची के ज्ञाप संख्या–3033, दिनांक–16.12.2015 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में / मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव / उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग / अपर मुख्य सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

गोपाल सिंह
20/12/15
(गोपाल सिंह)
सरकार के अवर सचिव

श्री दशरथ गागराई, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.12.2015 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न–16 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावां जिले के खरसावां में 01 जनवरी, 1948 को हुए गोलीकांड में मारे गये लोगों से संबंधित अभिलेख झारखण्ड सरकार के पास उपलब्ध नही है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उस समय सरायकेला–खरसावां जिला उड़ीसा राज्य में सम्मिलित था ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त गोलीकांड से संबंधित अभिलेख उड़ीसा सरकार से प्राप्त करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा 04 जुलाई, 2015 को पत्राचार किया गया है ;	दिनांक–04.07.2015 को नहीं, बल्कि उपायुक्त, सरायकेला–खरसावां के पत्रांक–663, दिनांक–06.05.2015 द्वारा द्वारा मयूरभंज (उड़ीसा) जिला प्रशासन से पत्राचार किया गया है।
4	क्या यह बात सही है कि खरसावां गोलीकांड में शहीद हुए आदिवासियों को मुआवजा देने का प्रस्ताव विभाग के पास है;	अस्वीकारात्मक।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उड़ीसा सरकार से अभिलेखीय प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए उक्त गोलीकांड में शहीद हुए आदिवासियों के आश्रितों को मुआवजा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ से प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–18 / वि०स०(02)–10 / 2014 7601/ राँची, दिनांक–20/12/2015 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3027, दिनांक–16.12.2015 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(178)

श्री राधाकृष्ण किशोर, स0वि0स0 के द्वारा दिनांक 21.12.2015 को पूछे जानेवाले अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–02 की उत्तर

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड प्रदेश में महिलाओं के वित्तीय समावेशन के लिए राज्य के सभी जिलों और अनुमंडलीय मुख्यालयों में भारतीय महिला बैंक की शाखा स्थापित करने का निर्णय केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2014 में लिया गया था ?	अस्वीकरात्मक बैंक की स्थापना के समय से ऐसा कोई प्रावधान झारखण्ड राज्य के लिए नहीं किया गया है ।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त आधारभूत संरचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण झारखण्ड के 22 जिलों में 30 नवम्बर 2015 तक भारतीय महिला बैंक की शाखा नहीं खोली गई है ?	अस्वीकरात्मक राज्य में महिला बैंकों की 05 शाखाएँ कार्यरत है यथा जमशेदपुर, राँची, बुरहा खुखरा (जिला राँची), राजा उलातू (जिला राँची), कुटियातू (जिला राँची), मे है । देश में भारतीय महिला बैंक की मात्र 85 शाखा वर्तमान में कार्यरत है जिनमें 05 शाखा झारखण्ड में है ।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या राज्य के सभी जिलों में महिला बैंक की शाखा खोलने हेतु कौन सी कार्रवाई करना चाहती है, नहीं तो क्यों ?	क्रमांक 01 एवं 02 के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता ।

झारखण्ड सरकार
योजना सह वित्त विभाग
(सांख्यिक वित्त प्रभाग)

ज्ञापांक:सां0वि0प्रश्न:7 / 2015 791 / राँची, दिनांक 17/12/15 /

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या 2758 दिनांक 10.12.2015 के आलोक में उत्तर प्रति की 250 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

17.12.15

(भैया रजनीश रंजन)
सरकार के अवर सचिव ।